

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 11-12/2010

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

24 SEP 2010

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं
श्रम बजट 2011-12 के संबन्ध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 10/13.09.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2011-12 तैयार किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। आशा है कि वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही आपके द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी होगी।

योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.1.3 के अन्तर्गत स्पष्टतः वर्णित है कि योजनान्तर्गत निर्मित की गयी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ अन्य योजनान्तर्गत सृजित ऐसी परिसम्पत्तियों जो कि योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के अनुरूप है, के रख-रखाव के कार्य भी योजनान्तर्गत कराये जा सकते हैं। राज्य द्वारा जारी की गयी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बिन्दु संख्या 20 (3) में भी उक्तानुसार प्रावधान किया गया है।

जैसा कि यह विदित है कि इस वर्ष मानसून के दौरान राज्य में अच्छी बरसात हुई है एवं बहुत से जल संग्रहण/जल संरक्षण संरचनाओं को भी काफी क्षति पहुँची है। अतः आपके जिले में इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए जल संग्रहण/जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत के कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना 2011-12 में सम्मिलित कराये जाने के प्रयास किये जावें ताकि इन संरचनाओं को आगामी वर्षा से पूर्व सुरक्षित किया जा सकें एवं इनका पूर्ण उपयोग किया जा सकें। इसके लिए जिले में कार्यरत जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की सेवाएं भी प्राप्त की जावें।

भवदीय

13.09.2010
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रति:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)